न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-14RAAJodhpur2024-04RTA223 Ataa Mohmad ors Vs Alla Baksha etc

01. अता मोहम्मद पुत्र पठान खॉ
02. अली बक्स पुत्र पठान खॉ
03. जामा पुत्र पठान खॉ
04. मोहम्मद अली पुत्र पठान खॉ
05. लुतबअली पुत्र पठान खॉ
06. शाह मोहम्मद पुत्र पठान खॉ
07. साले मोहम्मद पुत्र पठान खॉ
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण– गांव भड़ला, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. अलाबक्स पुत्र श्री इखत्यार खॉ
2. सदाम हुसैन पुत्र इखत्यार खॉ
3. सायबदीन पुत्र इखत्यार खॉ
4. हपू पत्नी श्री इख्त्यार खॉ
5. हासनदीन पुत्र इखत्यार खॉ
6. इस्लामदीन पुत्र इखत्यार खॉ
7. सरमा पुत्री इखत्यार खॉ
   सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण– गांव भड़ला, तहसील बाप, जिला फलोदी।
8. श्रीमान् तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 68/2022 अलाबक्स व अन्य बनाम अता मोहम्मद इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 68/2022 अनवान अलाबक्स व अन्य बनाम अता मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 39/1 रकबा 40.4928 हैक्टेयर, खसरा नंबर 60/510 रकबा 4.0469 हैक्टेयर के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेष दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 अगस्त 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए सर्वप्रथम कथन किया कि हस्तगत मामले में प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री में समान पक्षकार होने के कारण तथा एक ही वाद से संबंधित होने के कारण अलग–अलग अपील प्रस्तुत नही कर एक साथ अपील प्रस्तुत की गई है, जिसकी माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के अधिकारी अपीलार्थी है।

तत्पष्चात अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन बिना किसी सहमति के ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। कानूनन प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता था। इस कारण आलौच्य निर्णय बिना सहमति के जारी

किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का सिद्धान्त की बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, जबकि हस्तगत मामले में बंटवाडा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। इस कारण बंटवाडा प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। बंटवाडा तैयारी में प्रस्ताव विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष खसरे में ही प्रत्यर्थी सं० 1 को सम्पूर्ण भूमि दे दी गई है, जिससे भी बंटवाडा में बंटवाड़ा नियमों की पालना नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने का आदेश पारित किया गया था। विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के कब्जे व रहवास की भूमि प्रत्यर्थीगण के बंट में रख दी गई है, जबकि सभी पक्षकारों का बंटवाडा किया जाना नियमानुसार आवश्यक था। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक सम्यक तामील करवाये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लाते हुए उन्हें सुने बिना ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में बिना साक्ष्य लिये तथा बिना सुनवाई के आलौच्य निर्णय पारित किया गया तथा दिनांक 30–12–2023 को प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा मौके पर आकर कब्जा खाली करने की धमकी दी, तब अपीलार्थी बाप आया तथा पत्रावली के बारे में पता किया तो पत्रावली में फैसला होना बताया गया। जिस पर दिनांक 01–01–2024 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 01–01–2024 को तैयार होकर प्राप्त हुई। उक्त नकल को पढने से प्रथम बार आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11

जनवरी 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28 अगस्त 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा सम्मन तामीली रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट्स के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 39/1 रकबा 40.4928 हैक्टेयर, खसरा नंबर 60/510 रकबा 4.0469 कुल रकबा 44.5397 हैक्टेयर मौजा भड़ला में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से नौ के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार बाप को निर्देषित किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 में

अपीलांट्स के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से अपने हक–हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.03. 2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त राजस्थान काष्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट्स को सम्यक रूप से सूचित किये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री में प्रदत निर्देषों की पालना में वर्तमान जमाबंदी में दर्षित अनुसार सभी पक्षकारान् के हिस्से अलग नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 68/2022 अनवान अलाबक्स व अन्य बनाम अता मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से यथावत रखे जाते है तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देष दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर